न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–40/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00018)

1. डॉ0 राजकुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री बनवारी लाल शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम जाखनी, तहसील नारनौल हाल निवासी राम नर्सिग होम, सिंघाना रोड़, नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा।
2. श्रीमती आशा शर्मा धर्मपत्नी श्री उमेश कुमार शर्मा, जाति ब्राहाम्ण आयु 63 वर्ष, निवासी ग्राम कांसली हाल निवासी पी.के. नवोदय स्कूल के सामने, आदर्श नगर, डाबला रोड़ कोटपूतली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती कस्तूरी पुत्र स्व. श्री लच्छू धर्मपत्नी श्री रतन, जाति गुर्जर, निवासी परमदा की ढाणी तन कालाखेड़ा, उप तहसील पाटन, तहसील नीम का थाना जिला सीकर।
2. श्रीमती लीली देवी पुत्री स्व. श्री लच्छू धर्मपत्नी श्री कानाराम, जाति गुर्जर निवासी परमदा की ढाणी तन कालाखेडा, उप तहसील पाटन, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर।
3. श्रीमती कोयली पुत्री स्व. श्री लच्छू धर्मपत्नी श्री धोलाराम, जाति गुर्जर निवासी परमदा की ढाणी, तन कालाखेडा, उप तहसील पाटन, तहसील नीम का थाना जिला सीकर।

––रेस्पोडेन्ट्स

4. साययराम,
5. जगदीश,
6. रामेश्वर,
7. कैलाश,
8. प्रकाश पुत्रान स्व. श्री लच्छू, जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुन्दरपुरा, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

––प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः–2/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00034)

1. कैलाश चन्द पुत्र रामचरण विजय, जाति महाजन, निवासी ग्राम सरूण्ड, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
2. रामचरण पुत्र स्व. श्री गणपतलाल विजय, जाति महाजन, निवासी ग्राम सरूण्ड, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती कस्तूरी
2. श्रीमती लीली देवी
3. श्रीमती कोयली पुत्रीयान स्व. श्री लच्छू जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुन्दरपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

4. साययराम,
5. जगदीश,
6. रामेश्वर,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. कैलाश,
8. प्रकाश पुत्रान स्व. श्री लच्छू, जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुन्दरपुरा, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

——प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 14.10.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीलें न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर के आदेश दिनांक 11.07.2018 (प्रकरण संख्या 19/2018) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने दोनों अपीलों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि श्यामनगर, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 761 रकबा 0.61 हैक्टयर, खसरा नम्बर 762 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 763 रकबा 0.72 हैक्टयर, खसरा नम्बर 764 रकबा 0.38 हैक्टयर, खसरा नम्बर 765 रकबा 0.31 हैक्टयर, खसरा नम्बर 766 रकबा 0.82 हैक्टयर, खसरा नम्बर 767 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 768 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 833 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 834 रकबा 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 836 रकबा 0.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 837 रकबा 0.50 हैक्टयर, खसरा नम्बर 838 रकबा 0.55 हैक्टयर, खसरा नम्बर 840 रकबा 0.33 हैक्टयर, खसरा नम्बर 841 रकबा 0.44 हैक्टयर, खसरा नम्बर 842 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 843 रकबा 0.23 हैक्टयर व खसरा नम्बर 844 रकबा 0.68 हैक्टयर कुल किता 18 कुल रकबा 6.44 हैक्टयर के खातेदार सूरजा, फूला, उमराव, मातादीन, भागीरथ पुत्रान भगवाना, श्रीमती भगवती बेवा बहादुर, बुद्धाराम, बंशी, लीलाराम, छोटूराम, मौजीराम, फौजीराम पुत्रान बहादूर, लच्छू, नारायण पुत्रान गोपाल, श्रीमती जानकी बेवा सरसाम, देवकरण, बंशी पुत्रान श्योकरण, गाड़ाराम, रामजीलाल पुत्रान बिरधा जाति गुर्जर की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी, राजस्व भू–अभिलेखों में उक्त व्यक्तियों का नाम खातेदार कृषिक के रूप में दर्ज था। उन्होन आगे कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित सहकृषकों में से श्री लच्छू पुत्र स्व. श्री गोपाल का वर्ष 1994 में देहान्त हो गया और सभी रेस्पोडेन्ट्स की जानकारी तथा सहमति से लच्छू की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 11.03.1994 को तहसीलदार कोटपूतली ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 तथा श्रीमती बादामी बेवा लच्छू के नाम तस्दीक कर दिया गया और उसके आधार पर राजस्व भू अभिलेखों में इन्द्राजात हो गये।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 11.03.1994 की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 को भी प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी है परन्तु उन्होने उक्त नामान्तरकरण

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पर कभी किसी प्रकार का कोई ऐतराज नही किया और राजस्व भू–अभिलेखों में उसके अनुरूप इन्दाजात हो गये। उन्होने आगे कथन किया है कि उपरोक्त इन्द्राजात के आधार पर सहकृषकों ने उपरोक्त वर्णित संयुक्त कृषि जोत का विधिवत विभाजन करने हेतु नियमानुसार आवेदन तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष प्रस्तुत किया और तहसीलदार कोटपूतली ने उक्त आवेदन को स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 को उक्त भूमि का सहकृषक घोषित करते हुऐ उपरोक्त वर्णित संयुक्त कृषि जोत का अंतिम विभाजन कर दिया जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 49 तस्दीक किया गया जाकर उपरोक्त वर्णित भूमि में से भूमि खसरा नम्बर 764 रकबा 0.38 हैक्टयर, खसरा नम्बर 765 रकबा 0.31 हैक्टयर, खसरा नम्बर 837 रकबा 0.50 हैक्टयर, खसरा नम्बर 838 रकबा 0.55 हैक्टयर कुल किता 4 रकबा 1.74 हैक्टयर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8, तथा श्रीमती बादामी बेवा लच्छू तथा नारायण पुत्र गोपाल के हिस्से में बहिस्सा बराबर आई और उसके अनुरूप राजस्व भू–अभिलेखों में उक्त व्यक्तियों के नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज कर दिये गये।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नारायण पुत्र गोपाल, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 तथा श्रीमती बादामी बेवा लच्छू ने उपरोक्त वर्णित भूमि में से भूमि खसरा नम्बर 764 रकबा 0.38 हैक्टयर, खसरा नम्बर 765 रकबा 0.31 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 हैक्टयर भूमि अपीलार्थीगण डॉ. राजकुमार शर्मा एवं श्रीमती आशा शर्मा को दिनांक 10.05.1994 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर कब्जा संभला दिया और पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 06.11.1996 को क्रेतागण अपीलार्थीगण के नाम तस्दीक किया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि नारायण पुत्र गोपाल, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 तथा श्रीमती बादाम बेवा लच्छू ने उपरोक्त वर्णित भूमि में से भूमि खसरा नम्बर 837 रकबा 0.50 हैक्टयर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 838 रकबा 0.55 हैक्टयर में से 44/55 हिस्से की भूमि श्री कैलाशचन्द पुत्र श्री रामचरण विजय व श्री रामचरण पुत्र स्व. श्री गणपतलाल विजय को दिनांक 18.5.1998 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर कब्जा संभला दिया और उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 95 दिनांक 25.08.1998 को उक्त क्रेतागण के नाम तस्दीक कर दिया गया और उक्त पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व भू–अभिलेखों मे इन्द्राजात हो गये जिसकी समस्त रेस्पोडेन्ट को पूर्ण जानकारी है। उन्होने आगे कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात् भी वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए तथा गलत तथ्य अंकित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने दिनांक 30.04.2018 को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष उक्त नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 11.03.1994 के विरूद्ध एक अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 8 को ही पक्षकार रेस्पोडेन्ट बनाते हुये प्रस्तुत की और तथ्यों की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात् भी मौजूदा अपीलार्थीगण को पक्षकार रेस्पोडेन्ट बनाया ही नही गया, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 ने

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 11.07.2018 को अपील का सरसरी जवाब प्रस्तुत किया जिसमें उनके उक्त भूमि के संयुक्त कृषि जोत का पूर्व में ही विधिवत विभाजन कर लिये जाने, विभाजन के पश्चात् उनके उक्त भूमि विवादग्रस्त का पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.05.1994 द्वारा विक्रय कर उक्त भूमि के सम्पूर्ण अधिकार पूर्व में ही मौजूदा अपीलार्थीगण में निहित हो जाने के तथ्यों का कोई उल्लेख ना कर वास्तविक तथ्य छुपाते हुये जवाब प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई और अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली ने वास्तविक तथ्यों की पूर्ण जांच किये बिना दिनांक 11.07.2018 के अपीलाधीन आदेश द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये उक्त नामान्तरकरण संख्या 48 तहसीलदार कोटपूतली को दिनांक 11.03.1994 का अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार कोटपूतली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड फरमा दिया कि वे मृतक लच्छू पुत्र गोपाल निवासी सरदारपुरा, तहसील कोटपूतली के उभयपक्ष के सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा दिनांक 11.07.2018 को पारित उक्त निर्ण.य की अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नही था, दिनांक 03.01. 2019 को अपीलार्थी संख्या 1 को श्री कैलाश पुत्र रामरचण विजय मिले तब उन्होंने बताया कि आपने जो भूमि क्रय की है उस भूमि के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली ने पूर्व में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 48 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित कर दिया है जिससे अपीलार्थीगण को नाम भी समाप्त हो जावेगा इस पर अपीलार्थीगण को चिन्ता हुई और अपीलार्थी ने दिनांक 04.01.2019 को ही अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के न्यायालय से जानकारी एवं आवश्यक फीस पर सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तब अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई उसके बाद अपीलार्थीगण ने इस बाबत कानूनी राय प्राप्त कर नामान्तरकरण संख्या 48 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की और अपीलार्थीगण ने जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा उक्त विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य हेने से स्वीकार फरमाया जावें एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा नामान्तरकरण के विरूद्ध 24 वर्ष पश्चात् अपीलान्टस को बिना पक्षकार बनाये एवं वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए गलत तथ्य अंकित कर प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना वास्तविक तथ्यों की जांच किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2018 पारित किया गया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2018 निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 11.03.1994 को बहाल फरमाया जावें।

संभागीय आयुक्त

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 वादग्रस्त आराजी के खातेदार मृतक लच्छू पुत्र गोपाल की जायज पुत्रीया है तथा उनके पिता का देहान्त सन् 1994 पर होने पर रेस्पोडेन्ट बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ मृतक लच्छू के जायज वारिस होने पर उसकी कृषि भूमि पर खातेदारी हक हांसिल हुये है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 के साथ भूमि पर जायज वारिसान होने की बहैसियत खातेदार काश्तकार हुये तथा अपने हिस्से आराजी का लाट बाट करती चली आ रही है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ औरतों का फायदा उठाते हुऐ रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर रेस्पोडेन्ट के पिता की मृत्यु होने पर उसका नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पीठ पीछे से अपने हक में दर्ज करवा लिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। उन्होने कथन किया है कि गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी अपीलान्ट को जब हुई तब रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के कब्जे काश्त की आराजी में मजाहमत करने की धमकी दी तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने राजस्व रिकार्ड की नकल निकलवाई तो उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने आवश्यक दस्तावेजात की नकलें इत्यादि निकलवाकर एवं कानूनी सलाह मशवरा लेकर जानकारी की दिनांक से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार मृतक लच्छू की मृत्यु के पश्चात उसकी विरासत के नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 11.03.1994 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा दिनांक 30.04.2018 को लगभग 24 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई है जबकि अपीलान्ट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.05.1994 एवं 18.05.1998 को ही खरीद कर लिया गया है उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये ही अपील प्रस्तुत की गई है जिससे अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की दोनों अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर